

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Bulletin Part-I

(Brief summary of proceedings)

Wednesday, 17 January 2018 / 27 Paush 1939 (Saka)

No. 65

2.00 PM

Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair

1. 2.02 PM Shri Kapil Mishra came to the well of the House displaying a banner. The Chair repeatedly asked Shri Kapil Mishra to go back to his seat. When Shri Kapil Mishra continued to stand in the well, the Chair named Shri Kapil Mishra and asked him to withdraw from the House. As Shri Kapil Mishra refused to leave the House, he was escorted out by the Marshalls.
2. 2.05 PM Shri Vijender Gupta, Leader of Opposition, Shri Om Prakash Sharma, Shri Manjinder Singh Sirsa & Shri Jagdish Pradhan, Members of BJP came to the well of the House shouting slogans. In spite of repeated warnings of the Chair, they refused to resume their seats and continued to disrupt the proceedings.
3. 2.07 PM **Presentation of Report :**
Shri Akhilesh Pati Tripathi presented the '**Interim Report of the Committee on Petition**'.
4. 2.10 PM **Special Mention (Rule-280) :** The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair :

1. Shri Ajay Dutt	7. Shri Anil Kumar Bajpai
2. Shri Girish Soni	8. Shri Shiv Charan Goel
3. Ms. Alka Lamba	9. Shri Adarsh Shashtri
4. Shri Manoj Kumar	10. Shri Vishesh Ravi
5. Shri Mohinder Goyal	11. Shri Nitin Tyagi
6. Shri Jagdeep Singh	12. Shri Jagdish Pradhan
5. 3.07 PM **Calling Attention :**
Shri Vijender Gupta, Leader of Opposition called the attention of the Government towards alleged deaths of people due to cold.
Shri Satyendar Jain, Hon'ble Minister of Urban Development replied.
6. 3.24 PM Not satisfied with the reply of the Hon'ble Minister, all Members of BJP walked out from the House.
7. 3.25 PM **Adoption of Reports :**
 1. **Ms. Rakhi Birla, Hon'ble Deputy Speaker** moved that "This House agrees with the '**Special Report of the Questions and Reference Committee**' presented on 16 January, 2018."
Shri Saurabh Bharadwaj initiated the discussion on the Report.
(3.47 PM : Ms. Rakhi Birla, Hon'ble Deputy Speaker In-Chair)
The following Members participated in the discussion:
 1. Shri Amanatullah Khan
 2. Shri Manjinder Singh Sirsa
 3. Shri Kailash Gahlot, Hon'ble Minister of Law, Justice & Legislative Affairs
 4. Shri Jarnail Singh
 5. Shri Jagdeep Singh
 6. Shri Somnath Bharti (*He also moved two amendments*)
 7. Shri Imran Hussain, Hon'ble Minister of Food & SuppliesThe following amendments moved by Shri Somnath Bharti were put to vote :
"That the following recommendations be included in the Report of the Committee:
 8. *The Bar Council of India be requested by the Chief Secretary to conduct an inquiry into the role and conduct of the Advocates representing the Wakf Board who sfailed to act in an ethical and professional manner, as a result of which the Wakf Board suffered adverse orders.*
 9. *The Chief Secretary to ensure that a Magisterial Enquiry be conducted into the 36 court cases in which the Wakf Board has lost and report within six months, the acts of omission and commission of Departmental Officers and Wakf Board officials; and also immediately approach the appropriate courts for relief and get the judgments/ orders passed due to non-appearance of Advocates declared as null and void ab-initio."*The Motion for amendment was adopted by voice vote.
The Report as amended was adopted by voice vote.

8. 4.28 PM 2. **Shri Saurabh Bharadwaj** moved that “This House agrees with the ‘**Interim Report of the Committee on Petitions**’ presented on 17 January, 2018.”
He also initiated the discussion on the Report.
The following members participated in the discussion :
1. Shri Akhilesh Pati Tripathi
9. 5.19 PM **Hon’ble Speaker In-Chair**
The Chair announced that a delegation from the Fukuoka Prefectural Assembly led by Mr. Higuchi Akira, Chairman was in the LGs Gallery.
The House greeted the distinguished guests.
10. **Discussion on Interim Report of the Committee on Petitions continued :**
2. Shri Vijender Gupta, Hon’ble Leader of Opposition
3. Shri Sukhbir Singh Dalal
The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.
11. 5.35 PM **Short Duration Discussion (Rule-55) :**
Shri Shiv Charan Goel initiated discussion on ‘**Allowing Foreign Direct Investment and its implications**’ :
12. 5.43 PM **Shri Vijender Gupta, Leader of Opposition** raised the issue of lack of Quorum in the House.
Quorum Bell was rung.
Quorum completed.
13. 5.45 PM **Shri Shiv Charan Goel** continued his speech
The following members participated in the discussion :-
1. Ms. Alka Lamba
(5.59 PM : *The Chair, with the leave of the House, extended the sitting of the House by one hour*)
2. Shri Adarsh Shastri
3. Shri Rajesh Rishi
4. Shri Somnath Bharti
5. Shri Saurabh Bhardwaj
6. Shri Vijender Gupta, Hon’ble Leader of Opposition
(6.56 PM : *The Chair, with the leave of the House, extended the sitting of the House by 30 minutes*)
7. Shri Gopal Rai, Hon’ble Minister of Labour
Shri Satyendar Jain, Hon’ble Minister of Urban Development replied to the discussion.
Shri Somnath Bharti moved the following Resolution with the leave of the House:
*“The Legislative Assembly of NCT of Delhi having its sitting on 17 January, 2018;
Taking note of the fact that the BJP Government in Centre has made so many ‘U-turns’ which are proving to be detrimental to the interest of ordinary people of India;
Resolves to oppose the decision of the Union Cabinet to allow 100% FDI in retail, as it leads to breaking the back of small and medium traders and ultimately to economic slavery of the country.”*
The Resolution was adopted by voice-vote.
14. 7.31 PM The Chair expressed thanks to the Chief Minister, Deputy Chief Minister, Leader of Opposition, all the Members of the House and others for their cooperation in smooth conduct of the Session.
He also thanked the delegation from the Fukuoka Prefectural Assembly for their visit to the Assembly.
15. 7.33 PM **National Anthem – Jan-Gan-Man**
The Chair adjourned the House sine-die.

Delhi
17 January, 2018

Prasanna Kumar Suryadevara
Secretary

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग-1
(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)
बुधवार, 17 जनवरी, 2018/पौष 27, 1939 (शक)

संख्या-65

2.00 बजे

श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।

- 1 2.02 बजे श्री कपिल मिश्रा बैनर लेकर सदन के वैल में आ गये।
अध्यक्ष महोदय ने श्री कपिल मिश्रा को अपनी सीट पर जाने के लिए कई बार कहा। जब श्री कपिल मिश्रा लगातार वैल में खड़े रहे तो अध्यक्ष महोदय ने उन्हें इंगित किया और सदन से बाहर जाने के लिए कहा।
चूंकि श्री कपिल मिश्रा सदन से बाहर नहीं गये, इसलिए उन्हें मार्शलों द्वारा बाहर निकाला गया।
- 2 2.05 बजे श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा, श्री मनजिंदर सिंह सिरसा तथा श्री जगदीश प्रधान सदन के वैल में आ गये और नारेबाजी करने लगे।
अध्यक्ष महोदय द्वारा लगातार चेतावनी दिये जाने के बावजूद, उन्होंने अपनी सीट पर बैठने से मना कर दिया और कार्यवाही को बाधित करते रहे।
- 3 2.07 बजे **प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण :**
श्री अखिलेश पति त्रिपाठी ने "याचिका समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन" प्रस्तुत किया।
- 4 2.10 बजे **विशेष उल्लेख (नियम-280) :**
निम्नलिखित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये :-
 1. श्री अजय दत्त
 2. श्री गिरीश सोनी
 3. सुश्री अलका लाम्बा
 4. श्री मनोज कुमार
 5. श्री महेन्द्र गोयल
 6. श्री जगदीप सिंह
 7. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
 8. श्री शिव चरण गोयल
 9. श्री आदर्श शास्त्री
 10. श्री विशेष रवि
 11. श्री नितिन त्यागी
 12. श्री जगदीश प्रधान
- 5 3.07 बजे **ध्यानाकर्षण :**
श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सरकार का ध्यान सर्दी के कारण लोगों की कथित मौत होने के प्रति आकर्षित किया।
श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय शहरी विकास मंत्री ने उत्तर दिया।
- 6 3.24 बजे माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से संतुष्ट न होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।
- 7 3.25 बजे **प्रतिवेदनों पर सहमति :**
 1. **सुश्री राखी बिडला, माननीय उपाध्यक्ष महोदय** ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि:
"यह सदन दिनांक 16 जनवरी, 2018 को प्रस्तुत 'प्रश्न एवं संदर्भ समिति के विशेष प्रतिवेदन' से सहमत है।"
श्री सौरभ भारद्वाज ने प्रतिवेदन पर चर्चा प्रारम्भ की।
(3.47 बजे सुश्री राखी बिडला, माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुईं)
निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
 1. श्री अमानातुल्लाह खां
 2. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
 3. श्री कैलाश गहलौत, माननीय विधि, न्याय एवं विधायी कार्य मंत्री
 4. श्री जरनैल सिंह
 5. श्री जगदीप सिंह
 6. श्री सोमनाथ भारती (उन्होंने दो संशोधन भी प्रस्तुत किये)
 7. श्री इमरान हुसैन, माननीय खादय एवं आपूर्ति मंत्रीश्री सोमनाथ भारती द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संशोधन मतदान के लिए रखे गये :
"समिति के प्रतिवेदन में निम्नलिखित सिफारिशें जोड़ी जायें :
 8. मुख्य सचिव द्वारा बार काउंसिल आफ इंडिया को वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले उन वकीलों की भूमिका और आचरण की जांच करने का अनुरोध करना चाहिए, जो नैतिकतापूर्ण और व्यवसायिक ढंग से कार्य करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप वक्फ बोर्ड को विपरीत आदेशों से नुकसान हुआ।
 9. मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन 36 न्यायालय मामलों की मैजिस्ट्रेट जांच करवाई जाये जिनमें वक्फ बोर्ड को हारना पड़ा और विभागीय अधिकारियों और वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की त्रुटियों के बारे में छह महीनों में रिपोर्ट दें और उपयुक्त न्यायालय में राहत के लिए भी तत्काल जाये और वकीलों की अनुपस्थिति में जारी किये गये निर्णयों/आदेशों को प्रारम्भ से ही शून्य घोषित किया जाये।"संशोधन का प्रस्ताव ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।
यथा संशोधित प्रतिवेदन ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

- 8 4.28 बजे 2. श्री सौरभ भारद्वाज ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि :
 “यह सदन दिनांक 17 जनवरी, 2018 को प्रस्तुत ‘याचिका समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन’ से सहमत है।”
 उन्होंने प्रतिवेदन पर चर्चा भी प्रारम्भ की।
 निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:—
 1. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
- 9 5.19 बजे अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
 अध्यक्ष महोदय ने बताया कि फुकुओका प्रीपेक्चुरअल असेम्बली का एक प्रतिनिधि मंडल श्री हिगुची एकीरा के नेतृत्व में उपराज्यपाल दीर्घा में उपस्थित है।
 सदन ने विशिष्ट अतिथियों का अभिनंदन किया।
- 10 ‘याचिका समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन’ चर्चा जारी :
 2. श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष
 3. श्री सुखबीर सिंह दलाल
 प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।
- 11 5.35 बजे अल्पकालिक चर्चा (नियम-55) :
 श्री शिव चरण गोयल ने “प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति और इसके प्रभाव” के संबंध में चर्चा प्रारम्भ की।
- 12 5.43 बजे श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सदन में गणपूर्ति का मामला उठाया।
 गणपूर्ति की घंटी बजाई गई।
 गणपूर्ति पूरी की गई।
- 13 5.45 बजे श्री शिवचरण गोयल ने अपना भाषण पुनः जारी किया।
 निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :—
 1. सुश्री अलका लाम्बा
 [5.59 बजे : अध्यक्ष महोदय ने सदन की अनुमति से बैठक की अवधि एक घंटे के लिए बढ़ाई।]
 2. श्री आदर्श शास्त्री
 3. श्री राजेश ऋषि
 4. श्री सोमनाथ भारती
 5. श्री सौरभ भारद्वाज
 6. श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष
 [6.56 बजे : अध्यक्ष महोदय ने सदन की अनुमति से बैठक की अवधि 30 मिनट के लिए बढ़ाई।]
 7. श्री गोपाल राय, माननीय श्रम मंत्री
 श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय शहरी विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।
 श्री सोमनाथ भारती ने सदन की अनुमति से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :
 “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा दिनांक 17 जनवरी 2018 को आयोजित अपनी बैठक में :
 इस तथ्य पर गौर करते हुए कि केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई ‘यू-टर्न’ लिये हैं जो भारत के आम लोगों के हितों के लिये हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं,
 खुदरा में सौ प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के केन्द्रीय कैबिनेट के फैसले का विरोध करने का संकल्प करती है क्योंकि इससे छोटे तथा मध्यम व्यापारियों की कमर टूट जायेगी और अंततः देश आर्थिक रूप से गुलाम बन जायेगा।”
 उक्त संकल्प ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।
- 14 7.31 बजे अध्यक्ष महोदय ने सत्र के सुचारु संचालन में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सदन के सभी सदस्यों तथा अन्य अधिकारियों/संस्थाओं का आभार व्यक्त किया।
 उन्होंने फुकुओका प्रीपेक्चुरअल असेम्बली के प्रतिनिधि मंडल द्वारा विधानसभा का भ्रमण करने के लिए भी धन्यवाद व्यक्त किया।
- 15 7.33 बजे राष्ट्र गान: जन-गण-मन।
 सदन अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हुआ।